



## वर्ष 1954 के तहत समलैंगिक विवाह अधिनियम, 1954 के तहत समलैंगिक विवाह

### प्रलिस के लयः

सर्वोच्च न्यायालय, वर्ष 1954 के तहत समलैंगिक विवाह अधिनियम, 1954, LGBTQ+ समुदाय

### मेन्स के लयः

ट्रान्सजेंडर से संबंधित मुद्दे, वर्ष 1954 के तहत समलैंगिक विवाह अधिनियम, 1954 ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने वर्ष 1954 के तहत समलैंगिक विवाह अधिनियम, 1954 के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाले दो समलैंगिक जोड़ों की याचिका पर केंद्र और [भारत के महान्यायाधीश](#) को नोटिस जारी किया है ।

- कई याचिकाओं के परिणामस्वरूप भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ ने नोटिस जारी किया ।
- समलैंगिक विवाह की गैर-मान्यता प्राप्त भेदभाव के बराबर थी, जो [LGBTQ+](#) जोड़ों की गरमा का अपमान करती थी ।

## याचिकाकर्ताओं का पक्षः

- यह अधिनियम संविधान से उस सीमा तक अधिकारातीत है जिस हद तक यह समलैंगिक जोड़ों और विपरीत लिंग वाले जोड़ों के बीच भेदभाव करता है, समलैंगिक जोड़ों को कानूनी अधिकारों के साथ-साथ विवाह से मिलने वाली सामाजिक मान्यता और स्थिति दोनों से वंचित करता है ।
  - वर्ष 1954 का वर्ष 1954 के तहत समलैंगिक विवाह अधिनियम किसी भी दो व्यक्तियों के बीच विवाह पर लागू होना चाहिये, चाहे उनकी लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास कुछ भी हो ।
- यदि नहीं, तो अधिनियम को अपने वर्तमान रूप में गरमापूर्ण जीवन और समानता के [मौलिक अधिकारों](#) का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाना चाहिये क्योंकि "यह समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह करने का प्रावधान नहीं करता है" ।
- अधिनियम को समलैंगिक जोड़ों को भी वही सुरक्षा प्रदान करनी चाहिये जो अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को मिलती है ।
- समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने में अपर्याप्त प्रगति हुई है; LGBTQ+ व्यक्तियों के लिये समानता का वस्तुतः जीवन के सभी क्षेत्रों में होना चाहिये जिसमें घर, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थान शामिल हैं ।
  - LGBTQ+ की वर्तमान जनसंख्या देश की जनसंख्या का 7% से 8% है ।

## भारत में समलैंगिक विवाह की वैधताः

- विवाह के अधिकार को भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक या संविधानिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है ।
- यद्यपि विवाह को विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से वनियमित किया जाता है लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में इसकी मान्यता केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक नरिणयों के माध्यम से विकसित हुई है । संविधान के [अनुच्छेद 141](#) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का नरिणय पूरे भारत में सभी अदालतों के लिये बाध्यकारी है ।

## सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण नरिणयः

- मौलिक अधिकार के रूप में विवाह (शफीन जहान बनाम असोकन के.एम. और अन्य, 2018):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने [मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा](#) (UDHR) के अनुच्छेद 16 और पुट्टस्वामी मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्तियों को अपनी पसंद के अनुसार विवाह करने का अधिकार संविधान के [अनुच्छेद 21](#) का अभिन्न अंग है ।
  - [अनुच्छेद 16 \(2\)](#) के अनुसार, राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, नविस या इसमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे वभिद किया जाएगा ।

- ववाह करने का अधकार आंतरक वषय है। इस अधकार को संवधान में मौलक अधकारों के अंतरगत सुरक्षा परदान की गई है। वशवास और नषठा के मामले, जसमें वशवास करना भी शामिल है, संवधानक स्वतंत्रता के मूल में हैं।
- LGBTQ समुदाय सभी संवधानक अधकारों (नवजेत सहि जोहर और अन्य बनाम केंद्र सरकार, 2018) के हकदार हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क LGBTQ समुदाय के सदस्य अन्य नागरकों की तरह संवधान द्वारा परदान कये गए सभी संवधानक अधकारों के हकदार हैं, जसमें "समान नागरकता" और "कानून का समान संरक्षण" भी शामिल है।

## वशेष ववाह अधनयम (SMA), 1954:

- परचय:
  - भारत में ववाह संबंधत वयक्तगत कानूनों- हदू ववाह अधनयम, 1955; मुसलम ववाह अधनयम, 1954, या वशेष ववाह अधनयम, 1954 के तहत पंजीकृत कये जा सकते हैं।
  - इसके अंतरगत यह सुनशचत करना न्यायपालका का करतव्य है क पत और पत्नी दोनों के अधकारों की रक्षा की जाए।
  - वशेष ववाह अधनयम, 1954 भारत की संसद का एक अधनयम है जसमें भारत और वदशों में सभी भारतीय नागरकों के लये ववाह का प्रावधान है, चाहे दोनों पक्षों द्वारा कसी भी धर्म या आस्था का पालन कये जाए।
  - जब कोई वयक्त इस कानून के तहत ववाह करता है तो ववाह वयक्तगत कानूनों द्वारा नहीं बल्क वशेष ववाह अधनयम द्वारा शासत होता है।
- वशेषताएँ:
  - दो अलग-अलग धार्मक पृष्ठभूमक लोगों को शादी के बंधन में एक साथ आने की अनुमत देता है।
  - जहाँ पत या पत्नी या दोनों में से कोई हदू, बौद्ध, जैन या सखि नहीं है, वहाँ ववाह के अनुषठापन तथा पंजीकरण दोनों के लये परकरथि नरिधारत करता है।
  - एक धर्मनरपेक्ष अधनयम होने के कारण यह वयक्तथियों को ववाह की पारंपरक आवश्यकताओं से मुक्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमका नभाता है।

## आगे की राह:

- LGBTQ समुदाय के लये एक ऐसे भेदभाव-रोधी कानून की आवश्यकता है, जो उन्हें लैंगक पहचान या यौन उनमुखता के बावजूद एक बेहतर जीवन और संबंधों का नरमाण करने में सहायता करे और जो वयक्तको बदलने के स्थान पर समाज में बदलाव लाने पर ज़ोर दे।
- LGBTQ समुदाय के सदस्यों को संपूरण संवधानक अधकार दये जाने के बाद यह भी आवश्यक है क समलैंगक ववाह के इच्छुक लोगों को भी अपनी पसंद के वयक्त से ववाह करने का अधकार दये जाए। ज्ञात हो क वर्तमान में वशिव के दो दर्जन से अधक देशों ने समलैंगक ववाह को स्वीकृत दी है।

## स्रोत: इंडयन एक्सप्रेस